धन्नालाल बनाम शिवदयाल वर्मा

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ...10/10

12.07.2019	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.08.2010 की अवहेलना की है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ था । इस न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण मौके पर आये और यह कथन किया कि हम स्थगन आदेश को नहीं मानते हैं । प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र और किशन लाल एवं सहदेव के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे । अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना में साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है । अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2010 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । प्रार्थी के द्वारा इस आदेश की अवहेलना किये जाने का कथन करते हुए यह अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण ने पेश किया है जिमसें उन्होंने यह कथन किया है कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की जा रही है। प्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके अनुसार इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2010 की सूचना अप्रार्थीगण को दे दी गई हो और सूचना मिलने के उपरानत भी उनके द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना में कोई कृत्य किया गया हो । जो शपथ पत्र सहदेव एवं किशनलाल के पेश किये गये हैं उन शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में विफल रहे हैं । इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । 12/7/19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा